न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 103 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

प्रो. शैलेन्द्र गुप्ता

फर्म राजू हलवाई आगरा वाले

अम्बाबाडी, धोबी घाट रोड, तोपदडा, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 01.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.2023 को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक मसहित संयुक्त जांच दल प्रोपराइटर श्री शैलेन्द्र गुप्ता फर्म राजू हलवाई आगरा वाले, अम्बाबाडी, धोबी घाट, तोपदडा अजमेर के यहॉ पहुँचे । श्री शैलेन्द्र गुप्ता, स्थान के बारे में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहॉ पर एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर रीफिलिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा है। मौके पर प्रोपराइटर श्री शैलेन्द्र गुप्ता स्वयं उपस्थित मिले, इन्होने स्वयं को हलवाई का व्यवसाय करने वाला बताया गया है। मौके पर परिसर की जांच में 12 वाणिज्यिक सिलेण्डर भरे हुए, 02 घरेलू लाल सिलेण्डर और 01 गैस रिफिलिंग मशीन पायी गई। मौके पर प्राप्त रिफिलिंग मशीन व वैध क्षमता से ज्यादा मात्रा में एलपीजी गैस का भण्डारण पाये जाने पर शिकायत की पुष्टि होती है। मौके पर गोदाम में हलवाई व्यवसाय में काम में आने वाले बर्तन, भट्टिया, भगौने, कढाई आदि पाये गये। मौके पर प्रात अवैध गैस भण्डारण तथा गैस रिफिलिंग मशीन से व्यसायी द्वारा कुल 12 वाणिज्यिक सिलेण्डरों में कुल गैस 228 किग्रा तथा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर में शून्य किग्रा दोनो प्रकार के सिलेण्डरो में वजन करने पर कुल गैस 228 किग्रा तथा 01 रिफिलिंग मशीन को कब्जे राज लिया गया । जिसका विवरण निम्न है।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	0059111	BPCL(ND)	19.2	38.2	19.0
2	021483	BPCL(ND	19.2	38.2	19.0
3	098345	BPCL(ND	18.9	37.9	19.0
4	0018136	BPCL(ND	19.0	38.0	19.0
5	100389	BPCL(ND	19.3	38.3	19.0
6	182946	BPCL(ND	18.7	37.7	19.0
7	00232	BPCL(ND	19.4	38.4	19.0
8	511297	BPCL(ND	19.4	38.4	19.0
9	021691	BPCL(ND	19.0	38.0	19.0
10	100898	BPCL(ND	19.1	38.1	19.0
11	51741	BPCL(ND	19.2	38.2	19.0
12	19321	BPCL(ND	19.2	38.2	19.0
13	15671	IOCL	15.6	15.6	–
14	071511	IOCL	15.6	15.6	–
	योग				228.00 के.जी.

को कब्जेराज लिया जाकर चन्द्रायन गैस सर्विस के कार्मिक श्री अयूब खॉ पुत्र कयूम खॉ को बुलाकर उक्त कब्जेराज सामग्री को यथास्थिति हुबहू सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया, श्री शैलेन्द्र गुप्ता का यह कृत्य एल.पी.जी. आदेश, 2000 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः उक्त जब्तशुद्वा 12 वाणिज्यिक, 02 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 01 गैस रिफिलिंग मशीन जब्तशुद्वा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 12.12.2023 को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक मसहित संयुक्त जांच दल प्रोपराइटर श्री शैलेन्द्र गुप्ता फर्म राजू हलवाई आगरा वाले, अम्बाबाडी, धोबी घाट, तोपदडा अजमेर के यहॉ पहुँचे । श्री शैलेन्द्र गुप्ता, स्थान के बारे में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहॉ पर एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर रीफिलिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा है। मौके पर प्रोपराइटर श्री शैलेन्द्र गुप्ता स्वयं उपस्थित मिले, इन्होने स्वयं को हलवाई का व्यवसाय करने वाला बताया गया है। मौके पर परिसर की जांच में 12 वाणिज्यिक सिलेण्डर भरे हुए, 02 घरेलू लाल सिलेण्डर और 01 गैस रिफिलिंग मशीन पायी गई। मौके पर प्राप्त रिफिलिंग मशीन व वैध क्षमता से ज्यादा मात्रा में एलपीजी गैस का भण्डारण पाये जाने पर शिकायत की पुष्टि होती है। मौके पर गोदाम में हलवाई व्यवसाय में काम में आने वाले बर्तन, भट्टिया, भगौने, कढाई आदि पाये गये। मौके पर प्रात अवैध गैस भण्डारण तथा गैस रिफिलिंग मशीन से व्यसायी द्वारा कुल 12 वाणिज्यिक सिलेण्डरों में कुल गैस 228 किग्रा तथा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर में शून्य किग्रा दोनो प्रकार के सिलेण्डरो में वजन करने पर कुल गैस 228 किग्रा तथा 01 रिफिलिंग मशीन को कब्जे राज लिया गया । श्री शैलेन्द्र गुप्ता का यह कृत्य एल.पी.जी. आदेश, 2000 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः उक्त जब्तशुद्वा 12 वाणिज्यिक, 02 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 01 गैस रिफिलिंग मशीन जब्तशुद्वा सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। दिनांक 12.12.2023 को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक मसहित संयुक्त जांच दल प्रोपराइटर श्री शैलेन्द्र गुप्ता फर्म राजू हलवाई आगरा वाले, अम्बाबाडी, धोबी घाट, तोपदडा अजमेर के यहॉ पहुँचे । श्री शैलेन्द्र गुप्ता, स्थान के बारे में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहॉ पर एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर रीफिलिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा है। मौके पर प्रोपराइटर श्री शैलेन्द्र गुप्ता स्वयं उपस्थित मिले, इन्होने स्वयं को हलवाई का व्यवसाय करने वाला बताया गया है। मौके पर परिसर की जांच में 12 वाणिज्यिक सिलेण्डर भरे हुए, 02 घरेलू लाल सिलेण्डर और 01 गैस रिफिलिंग मशीन पायी गई। मौके पर प्राप्त रिफिलिंग मशीन व वैध क्षमता से ज्यादा मात्रा में एलपीजी गैस का भण्डारण पाये जाने पर शिकायत की पुष्टि होती है। मौके पर गोदाम में हलवाई व्यवसाय में काम में आने वाले बर्तन, भट्टिया, भगौने, कढाई आदि पाये गये। मौके पर प्रात अवैध गैस भण्डारण तथा गैस रिफिलिंग मशीन से व्यसायी द्वारा कुल 12 वाणिज्यिक सिलेण्डरों में कुल गैस 228 किग्रा तथा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर में शून्य किग्रा दोनो प्रकार के सिलेण्डरो में वजन करने पर कुल गैस 228 किग्रा तथा 01 रिफिलिंग मशीन को कब्जे राज लिया गया । श्री शैलेन्द्र गुप्ता का यह कृत्य एल.पी.जी. आदेश, 2000 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुद्वा 12 वाणिज्यिक, 02 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 01 गैस रिफिलिंग मशीन को राजसात किया

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

जाता है अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर व साम्रगी का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर